भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-193
सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

†**193. श्री कृपानाथ मल्लाहः**
श्रीमती जसकौर मीनाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) असम और राजस्थान में अब तक इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) असम और राजस्थान में अब तक इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्धारित किए गए लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही;
(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य में लक्षित लाभार्थियों के व्यापक वर्ग को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) क्या यह योजना देश में कोविड-19 के दौरान वरदान साबित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क): सरकार वर्ष 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है और अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में लाना भी है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15,000/- रुपये तक कमाने वाले नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहेगा।

(ख): पीएमआरपीवाई योजना के आरंभ से जून 2021 तक असम और राजस्थान में क्रमशः 9.49 करोड़ रुपए एवं 307.58 करोड़ रुपए राजसहायता का संवितरण किया गया है।

(ग): पीएमआरपीवाई योजना के आरंभ से जून 2021 तक असम और राजस्थान में क्रमश- 11311 और 463148 कर्मचारियों को लाभ मिला है।

(घ): इस योजना से 20 लाख लाभार्थियों को लाभ होने का अनुमान था। 15 जुलाई, 2021 को 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

(ङ): योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान, मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, टेलीविजन विज्ञापन, रेडियो एफएम चैनलों, सिनेमा थियेटर आदि के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा, नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, सेमिनार और बैठकें भी आयोजित की गईं। योजना का ब्यौरा नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच प्रसार के लिए वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया था।

(च): पीएमआरपीवाई के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी, लेकिन पंजीकृत लाभार्थियों के संबंध में प्रोत्साहन शामिल होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए जारी रहा है। इसलिए, लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियोक्ता को, नियोक्ता के अंशदान (मजदूरी का 12%) के भुगतान के रूप में ऐसे लाभार्थी कामगारों को उनके रोल पर बनाए रखने के लिए नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन सरकार द्वारा उपलब्ध था।

कोविड महामारी की अवधि के दौरान, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, 100 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले ईपीएफ से कवर किए गए प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्यों के रोजगार में व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम अर्जित करते हैं, के लिए सरकार ने मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कर्मचारी एवं नियोक्ता के ईपीएफ एवं ईपीएस अंशदान (मजदूरी का 24%) का अंशदान का भुगतान किया।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को कोविड बहाली चरण के दौरान आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंग के रूप में ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्तूबर, 2020 से, 1000 कर्मचारियों तक को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं-दोनों के देय अंशदान अर्थात मजदूरी का 24% एवं 1000 कर्मचारी से अधिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में नए कामगारों के संबंध में केवल कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान अर्थात् 12% वेतन का भुगतान करने हुत आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो दिया था एवं जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं हुए। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

*****